(189)

(65)

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय म0प्र0राजस्व मंण्डल ग्वालियर

कैम्प रीवा, जिला रीवाम0प्र0

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

निगरानी 2194-II-15

202
16.6.15

रामजतन तनय श्री गोबिन्द राम निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा,

तहसील मउगंज जिला रीवाम0प्र0 ———————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामजी तनय रामनिहोर ब्रा0 निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा,

तहसील मउगंज जिला रीवाम0प्र0

———— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0435/निगरानी/2005–2006 मे पारित आदेश दिनांक30. 3. 15 के बिरूद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

श्री .... द्वारा आज दिनांक 16-6-15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5852
रजिस्टर्ड पोस्ट आज
दिनांक .... प्राप्त

क्लर्क ऑफ द
राजस्व मण्डल ग्वालियर

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चौका सोनवर्षा की भूमि ख0नं057 रकबा1.06ए. , 105/20 , 128/44, 150/1क रकबा 0. 32ए. ,78रकबा0. 62ए. कुल किता 5 कुल रकबा 2. 64ए. तहसील मउगंज के भूमि के सम्बन्ध मे बटनवारा आवेदन बिचारण न्यायालय मे प्रस्तुतकिया गया, जिस प्रकरण मे आवेदक कोसूचना व सुनवायी का अवसर नही दिया गया, तथा फर्जी सजरा खानदान के आधार पर बिचारण न्यायालय मे बटनवारा नाम0आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी होने पर आवेदक के द्वारा अनु0अधिकारी के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अपील प्र0क्र02 12/अ27/98–99 मे अनु0अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक9. 6. 2000को आदेशपारित हुये अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः बिचारण न्यायालय को बिधिवत सुनवायी किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, जिस आदेश

रामजतन

(65)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 2194-दो/15 जिला– रीवा

रामरतन विरूद्ध रामजी प्रा.

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अनीष श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 435/निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-3-15 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-6-15 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	

~~मे अनु0अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक9.6. 2000को [illegible] हुये अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को विधिवत सुनवायी किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया, जिस आदेश~~